संख्या-1/2026/96/84-2-2026/2027521

प्रेषक,

अतल सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबंधक,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

उ0 प्र0,लखनऊ ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक-30.03.2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक-3456 के अंतर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने दिनांक रहित पत्र संख्या-10385/एस० सी० डी० आर० सी०/ यू०पी०/ ब0आ0/25-26 एवं पत्र संख्या-10236/ एस० सी० डी० आर० सी०/ यू०पी०/ ब०आ०/25-26 दिनांक 24 फ़रवरी, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद संख्या-03-मंहगाई भत्ता से हो रही विभागीय सम्भावित बचत धनराशि रु. 67.00 लाख से मानक मद संख्या-49-चिकित्सा व्यय में धनराशि रु. 7.00 लाख का आवंटन संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं-

1. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आर.ई.संख्या–बजट-1-560, दिनाँक 19.03.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अतल सिंह)
उप सचिव।

संख्याः 1/2026/96(1)/84-2-2026/2027521 तददिनांक,

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ० प्र०, प्रयागराज।

3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ० प्र०, प्रयागराज।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहरभवन लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त(लेखा) अनुभाग-1

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(त्रिभुवन दास)
अनु सचिव।